

बच्चों को काम पर रखने के नियमों की संक्षिप्त मार्ग दर्शक पुस्तिका



श्रमिक जांच शाखा
श्रम विभाग हाँगकाँग

भूमिका	1
बच्चों की परिभाषा	1
बच्चों को काम पर रखने पर आम पाबंदी.....	1
उन बच्चों को काम पर रखना जो 13 साल के हो चुके हैं और उन्होंने सैकंडरी III की पढ़ाई पूरी कर ली है ।	1
उन बच्चों को काम पर रखना जो 13 साल के हो चुके हैं और उन्होंने सैकंडरी III की पढ़ाई पूरी नहीं की है ।	2
स्कूल उपस्थिति प्रमाण पत्र	3
मालिक द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज	3
मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम पर रखना	3
उल्लंघन और सजा	4
रोजगार के अन्य संरक्षण	4
पूछ ताछ और शिकायत	4

भूमिका :

रोजगार कानून के पाठ 57 के अर्न्तगत, बच्चों को काम पर रखने के नियम, किसी भी औद्योगिक संस्थान में बच्चों को काम पर रखने पर पाबंदी लगाते हैं और गैर- औद्योगिक, संस्थानों में बच्चों को काम पर रखने के नियमों को सुनियोजित करते हैं ताकि उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान न हो सके ।

यह मार्ग दर्शक पुस्तिका, नियमों के मुख्य प्रावधानों की रूप रेखा को सरल बनाती है, ताकि मालिकों को उनके कानूनी दायित्वों को समझने में मदद दे सके और युवा व्यक्तियों को उद्योग में, रोजगार के हालातों के साथ जुड़े हुए, अपने कानूनी अधिकारों को जानने में मदद मिल सके। यह नोट किया जाना चाहिए कि कानून और नियम, प्रावधानों की व्याख्या के लिए अकेले ही अधिकृत हैं ।

बच्चों की परिभाषा :

रोजगार कानून के अर्न्तगत 'बच्चे' की परिभाषा एक 15 साल से कम आयु के व्यक्ति के तौर पर दी गई है ।

बच्चों को काम पर रखने पर आम पाबंदी :

कोई भी व्यक्ति किसी औद्योगिक संस्थान में किसी भी बच्चे को न काम पर रखेगा और न ही रखने का कारण बनेगा और बच्चे को काम पर रखने की अनुमति नहीं देगा । 13 साल से कम आयु के बच्चों पर सभी आर्थिक क्षेत्रों में काम पर पाबंदी है । 13 साल या उस से ऊपर की आयु के बच्चे गैर-औद्योगिक संस्थाओं में काम पर रखे जा सकते हैं, बशर्ते कि वो पूर्ण समय तक स्कूल में उपस्थित हुए हैं । अगर उन्होंने सैकंडरी III की पढ़ाई खत्म नहीं की है तब प्रतिबन्धों की निम्नलिखित अनुच्छेद में व्याख्या की गई है ।

कोई बच्चा जो किसी भी रोजगार संस्थान में काम करता है चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं, उस को इस कानून के अनुसार काम पर रखा गया ही माना जाएगा ।

बच्चों को काम पर रखने के नियम उन बच्चों पर लागू नहीं होते जो प्रशिक्षु कानून के (पाठ 47) के अनुसार प्रशिक्षु के तौर पर पंजीकृत किये गये हैं ।

उन बच्चों को काम पर रखना जो 13 साल के हो चुके हैं और उन्होंने

सैकंडरी-III की पढ़ाई पूरी कर ली है :

एक बच्चा जिसकी आयु 13 साल की है पर 15 साल से कम है और उसने फार्म 3 की पढ़ाई कर ली है, वह गैर-औद्योगिक संस्था में, निम्नलिखित शर्तों पर काम पर रखे जा सकते हैं ।

- क) उसके मां बाप को भावी मालिक (काम देने वाले) को सबूत देना होगा कि उस बच्चे ने फार्म 3 की पढ़ाई कर ली है ।
- ख) उसके मां बाप ने उसके काम पर रखे जाने की लिखित रूप में अनुमति दी है ।
- ग) उसे काम पर नहीं रखा जाएगा
- i) सुबह 7 बजे से पहले या रात 7 बजे के बाद ;
 - ii) प्रतिदिन आठ घण्टे से ज्यादा ;
 - iii) कम से कम एक घंटा खाने और विश्राम के अवकाश के बगैर लगातार पांच घण्टों से ज्यादा काम करवाना और ;
 - iv) 18 किलो से ज्यादा भार उठाने पर

उन बच्चों को काम पर रखना जो 13 साल के हो चुके हैं और उन्होंने ने सैकंडरी III की पढ़ाई पूरी नहीं की है :

ऊपर दी गई (ख) और (ग) शर्तों के अतिरिक्त, उन बच्चों को काम पर रखने के लिए कुछ और प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, जो 13 साल के हो चुके हैं लेकिन उन्होंने फार्म III की पढ़ाई नहीं की ।

- क) उसके मां बाप को भावी मालिक (काम देने वाले) को उस बच्चे के वैध स्कूल का प्रमाण पत्र देना होगा ।
- ख) उस को काम पर नहीं रखा जाएगा
- i) स्कूल दिवस एवं स्कूल समय के दौरान ;
 - ii) स्कूल की अवधि में
 - * 2 घण्टें से ज्यादा, किसी भी स्कूल दिवस में,
 - * 4 घण्टे से ज्यादा किसी अन्य दिन ;
 - iii) गर्मियों की छुट्टियों में प्रतिदिन 8 घण्टे से ज्यादा ;
 - iv) निम्नलिखित प्रतिबन्धित व्यवसायो और परिसरो में
 - कोई भी परिसर या जगह जहाँ शराब बेची या पी जाती है,
 - सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट उठाने के लिए,
 - हानिकारक पदार्थों को उठाने या उनको किसी जगह पहुँचाने के लिए,

- किसी भी खतरनाक मशीन जहाँ मशीन के काटने का, पीसने का, धुमाने का, दबाने का या पिसाई आदि के कार्य किये जाते हैं,
- किसी नाचने की जगह, शराब पीने वाली या जुआ खेलने वाली जगह पर,
- गैर लाभकारी उद्देश्यों को छोड़ कर किसी जगह पर जनता के मनोरंजन के लिए,
- किसी होटल, रहने की जगह, पके हुए खाद्य पदार्थों की दुकान, कैफे या भोजनालय की रसोई में, जमीन से 3 मीटर की ऊँचाई से ज्यादा की ऊँचाई पर, बाहर से खिड़कियाँ साफ करने के लिए,
- किसी भी बूचड़खाना या कसाई घर में,
- किसी बाल बनाने वाले सैलून या मालिश करने वाली जगह में ।

स्कूल उपस्थिति का प्रमाण पत्र :

स्कूल का प्रमाण पत्र वह दस्तावेज है जो स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा पस्तु यह प्रमाणित करने के लिए जारी किया जाता है कि काम करने वाला बच्चा स्कूल में जा रहा है जब बच्चे को काम दिया जाता है तो उसके मां बाप को प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक के पास आवेदन देना होगा ।

मालिक द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज :

बच्चे को काम पर रखने वाले मालिक को, हर काम करने वाले बच्चे के दस्तावेज, श्रम निरीक्षक के निरीक्षण के लिए पेश करने होंगे ।

- क) बच्चे के मां बाप द्वारा उस की नौकरी के लिए लिखित मंजूरी
- ख) बच्चे की फार्म 3 की पढ़ाई के पूरे होने का सबूत या स्कूल का प्रमाण पत्र (उसकी प्रति) और
- ग) काम करने वाले बच्चे का रिकार्ड (Form LD 319)

मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम पर रखना :

कला और प्रशिक्षण की उन्नति के लिए, श्रम आयुक्त किसी भी उम्र के बच्चों के लिए विशेष शर्तों पर अनुमति दे सकता है । जो मालिक मनोरंजन कर्ता बच्चों को काम पर रखना चाहते हैं, उनको लिखित में आयुक्त के पास नौकरी शुरू करने से पहले आवेदन भेजना होगा । ज्यादा विस्तार के लिए कृपया 'मनोरंजन कर्ता बच्चों को नौकरी पर रखने की मार्गदर्शक पुस्तिका' देखें।

उल्लंघन और सजा :

किसी भी व्यक्ति को बच्चों को काम पर रखने वाले कानून के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10,000 से 50,000 हाँगकाँग डालर तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

रोजगार के अन्य संरक्षण :

रोजगार कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत यह कानून काम करने वाले बच्चों पर उचित तौर पर लागू होगा । विस्तार के लिए कृपया 'रोजगार कानून की संक्षेपित मार्ग दर्शक पुस्तिका' देखें ।

पूछ ताछ और शिकायत :

बच्चों को काम पर रखने के नियमों के बारे में पूछ ताछ के लिए आप पूछ ताछ हॉट लाईन के नम्बर 2717 1771 पर सम्पर्क कर सकते हैं (हॉट लाईन '1823 सिटीजनस ईजी लिंक' द्वारा चलाई जाती है) या आप श्रम विभाग की वेब साईट www.labour.gov.hk पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

शिकायत के लिए 24 घण्टे की शिकायत हॉट लाईन के नम्बर 2815 2200 पर सम्पर्क किया जा सकता है या श्रम विभाग की निरीक्षण शाखा के मुख्य दफ्तर 17/एफ हारबर बिल्डिंग 38 पीयर रोड सेंट्रल हाँगकाँग पर सम्पर्क कर सकते हैं । सभी शिकायतों पर गोपनीय रूप से कार्यवाही होगी ।